न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0– 40/2019

सोहन सिंह पुत्र लखवीर सिंह जाति बाजीगर निवासी–18 जे.एम.डी. भरूपावा तहसील व जिला बीकानेर जरिये मुख्तयारआम MSLG Infrastructure, having our registered office at/1-53/2G-6, SMY Complex, Kompally (Village) Dundigal (M) Medichal District 500100 Telangana, India hereby authorize Mr. PENUMATHSA LAKSHMIPATHI RAJU.

प्रार्थी......

–:बनाम:–

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर

....अप्रार्थी...

अपील अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति अभिभाशकः–

1. श्री धीरेन्द्रसिह भदौरिया ,प्रार्थी।
2. श्री पैरोकार राज,

–:निर्णय:–

दिनांक– 03/01/2020

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए के अधीन प्रस्तुत कर ग्राम रोही नूर मौहम्मद की ढाणी के खसरा न. 1674/645 में रास्ता दिलाये जाने एवं रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन करने हेतु निवेदन किया।

2– संक्षेप में प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 10.7.19 को जरिये अभिभाषक श्री धीरेन्द्रसिह भदौरिया द्वारा 251 क आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राथी के प्रिन्सीपल की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही नूर मोहमद की ढाणी तहसील व जिला बीकानेर के खसरा संख्या 648 तादादी 1.7000 है.,ख.न.689 तादादी 7.1100 है.,ख.न.888/649 तादादी 0.0300 हैक्ट,ख.स.889/649 तादादी 0.2100 है.ख.न. 890/649 तादादी 0.1100 है., ख.न.891/649 तादादी 0.0500 है. ,ख.न.892/649 ता.0.0300 है. ,ख.न.893/689 ता.0.8100 हैक्टर कुल तादादी 10.0500 हैक्टर स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के प्रिन्सीपल के नाम से राजस्व अभिलेखों में खातेदारी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। प्रार्थी के प्रिन्सीपल की कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी अपने खेत में काश्त करने ,आवश्यक सामग्री आदि उपलब्ध करवाने में काफी असुविधा होती है। पहले पड़ौसियो के खेत से आना जाना होता था परन्तु पडौसी रास्ता नही दे रहे है। प्रार्थी के प्रिन्सीपल की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि क दक्षिण की तरफ खसरा संख्या 16742645 की 0.8500 हक्टर भूमि स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में आराजीराज के

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

Scanned by CamScanner

रूप मं दर्ज है। इसी भांति खसरा संख्या 1674/645 के पश्चिम में खसरा संख्या 645 जा राजस्व रिकॉर्ड में MLG Infrastructure के नाम से दर्ज है। यदि प्रार्थी को खसरा संख्या 1674/645 के पश्चिम की तरफ खसरा संख्या 645 की सीव क चिपते हुए रास्ता दे दिया जाता हे तो प्रार्थी को आवागमन में काफी सुविधा होगीं। प्रार्थी न श्रीमान तहसीलदार महोदय बीकानेर के समक्ष दिनांक 27.03.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रिन्सीपल की खाततेदारी कृषि भूमि क दक्षिण में स्थित खसरा संख्या 1674/645 में से रास्ता दिलवाया जावे। जिस पर सक्ष न्यायालय में 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते की भूमि हेतु मांगी की जा सकती है। प्रार्थी को वाद कारण दिनांक 09.5.19 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर द्वारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सुचित किए जाने के बाद नया रास्ता स्वीकृत करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा संख्या 1674/645 की पश्चिमी तरफ की खसरा संख्या 645 की सींव के चिपते हुए 0.8500 हैक्टर मे से रास्ते की भूमि प्रदान की जावे तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में अंकन करने के आदेश प्रदान करे। नया रास्ता उपलब्ध करवाने की ऐवज में कानून के अनुसार निहित रकम जमा करवाने के लिए प्रार्थी तैयार है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स्टेट को जरिये नोटिस तलब करते हुए मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार बीकानेर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार ग्राम नूरमोहम्मद की ढाणी मं ख.न.648 में 1.70 ह.,689 ` 7.11 है. ,888/649 में 0.03 है.,ख.न.893/689 में 081 है. कुल तादादी 10.5 हैक्टेयर भूमि सोहनसिह पुत्र लखवीरसिंह जाति बाजीगर सा. 18 जेएमडी भरूपावा तह. जिला बीकानेर खातेदार दर्ज है। खेत खसरा न. उक्त नम्बरो पर जाने का काई रास्ता ुताबिक सीट नही है। जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता स. 1 में ख.न.16742645 रकबा .85 हेक्टेयर भूमि अराजीराज दर्ज है। भूमि खसरा न. 645 के पूर्व की तरफ चिपती हुई ख. न. 644 रकबा 0.35 है. भूमि के चिपती हुई है उत्तर की तरफ है। ख.न.644 के अन्दर की तरफ जो रास्ता दर्शाया हुआ है उस रास्त से उत्तर की तरफ ख.न.1674/645 मीन मे से रास्ता चाहा गया है। इस ख.न. 1674/645 के नक्शा अनुसार दक्षिण से उत्तर की तरफ 322 मी. लम्बाई व 12 मी. चौडाई रास्ता चाहा गया है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। तहसीलदार बीकानेर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस हेतु निर्धारित की गयी। दिनांक 24.9.19 को पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्पष्ट नही होने के कारण तहसीलदार को स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिस पर दिनांक 3.10.19 को तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गयी। बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दोहराया राज पैरोकार ने अपनी रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

हमने प्रार्थना पत्र ,जवाब,बहस तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के पास आने–जाने के लिए रास्ता नही है। रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। जो रास्ता चाहा है। उसको तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट व आईएलआर की जांच रिपोर्टनुसार न्यूनतम है। इन तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता तहसील बीकानेर के ग्राम वाके रोही नूर मोहमद की ढाणी तहसील व जिला बीकानेर के खसरा संख्या 648 तादादी 1.7000 है.,ख.न.689 तादादी 7.1100 हे.ख.न.888/649 तादादी 0.0300 हैक्ट ख. स.889/649 तादादी 0.2100 है.ख.न. 890/649 तादादी 0.1100 है.ख.न.891/649 तादादी 0.0500 है. ख.न.892/649 ता.0.0300 है. ख.न.893/689 ता.0.8100 हैक्टर कुल तादादी 10.0500 हैक्टर स्थित भूमि जाने हेतु खसरा संख्या 1674/645 की पश्चिम की तरफ खसरा संख्या 645 की सींव के चिपते हुए 30 फुट रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ 322 मीटर लम्बा रास्ता 251 (ए) आरटीएक्ट के तहत स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी इस रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दुगनी राशि तहसील कार्यालय बीकानेर मे जमा करायेगा। तहसीलदार बीकानेर यह राशि राजकोष में जमा करवायेगा। तहसीलदार बीकानेर राशि जमा होने पर राजस्व रिकार्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे ईन्द्राज करेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालानार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3/1/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 16:41:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: